राजस्थाम सरकार

<u>कार्यालय उपरजिस्ट्रार संस्थाऐ एवं,उपरजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ , पाली</u>

क्रमांक– फा.()उरपा / संस्था / पंजीयन / 146 / 2017 1403 दिनांक– / /2017
18/5/17

श्रीमान आदिनाथ [illegible] अध्यक्ष
विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति [illegible]
पाली, राजस्थान।

विषय :- राजस्थान संस्था - रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तगर्त संस्था रजिस्ट्रीकरण के बारे में।

आपकी संस्था रजिस्ट्रीकरण प्रमाण -पत्र कमांक पाली/13/17-18 दिनांक 18/5/17 किया जाता हैं जिसकी प्राप्ति की सूचना भी भिजवाये यहाँ आपका ध्यान अधिनियम की धारा (4) (4) (क) की और आकर्षित किया जाता हैं जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रति वर्ष आम सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचना भिजवानी है

1. संस्था के मामलो के प्रबंध जिसको सौपा गया हैं उस परिषद समिति या अन्य शीर्ष निकायों के शासको संचालको न्यास्सियों या सदस्यों के नाम पते और पेशे की सुचना मय पद के।
2. एक विवरण पत्र जिसमे उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष की सूची हैं के दौरान हुए समस्त परिवर्तनो को दिखाया गया हैं।
3. संस्था के नियमों और विनियमो की एक तारीख की सही प्रतिलिपि जो शर्शी निकास के शासको का संचालको न्यास्कि सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सहित प्रमाणित की गई हो इसके अलावा सही प्रमाणित की गई हो, ऐसी प्रतिवर्तन करने की तारीख से 15 दिवस के अन्दर अन्दर कार्यालय में पहुच जानी चाहिए।

आपका ध्यान उस अधिनियम की धारा (ख) की ओर आकर्षित किया जाता हैं जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों की पालना करने में विफल रहने वाला अपराध सिद्ध होने पर दण्ड से दण्डनीय होगा जो 500 रूपये तक हो सकता है तथा लगातार भंग होने की दशा में और ऐसे दण्ड अर्थ से दण्डनीय हो गया जो प्रत्येक 50 रूपये अधिक नही है कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूची धारा अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गए विवरण पत्र या नियमों विनियमो को या उसमे किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपि जान बुझकर कोई मिथ्या प्रविष्टियाँ लोप करता हैं , तो यह अपराध सिद्ध होने पर अर्थ दण्ड के दण्डनीय होगा जो 2000/- रूपये तक हो सकता है।

संलग्न :- पंजीयन प्रमाण -पत्र एंव विधान पत्र की प्रति ।

उपरजिस्ट्रार संस्थाएं
सहकारी समितियाँ , पाली
पाली (राजस्थान)